कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्रांकः 916 /55 बजट (मार्ग/सेतु- अनुरक्षण)/2018-19 दिनांकः 02 /11/2018

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय,
लोक निर्माण विभाग, पौडी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-3054 (राजस्व) प्रदेश के मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण मद के अन्तर्गत अनुमोदित केक सीलिंग के कार्यो में आवंटन।

संदर्भः- (1) शासनादेश संख्या-1503/III (2)/18-03 (बजट)/2018 दिनांक-09.04.2018
(2) अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0 लो0नि0वि0 दुगड्डा का पत्र संख्या 4668/3 ए.सी. दिनांक 01.11.2018
(3) अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0 लो0नि0वि0 ऊखीमठ का पत्र संख्या 2444/19 ए.सी. दिनांक 27.08.2018
(4) अधिशासी अभियन्ता,नि0ख0,लो0नि0वि0 गैरसैंण का पत्र संख्या 1361/बजट दिनांक 12.10.2018
(5) अधीक्षण अभियन्ता, चतुर्थ वृत्त, लो0नि0वि0 रूद्रपुर का पत्र संख्या 4075/2 लेखा-04/2018 दिनांक 27.10.2018
(6) अधिशासी अभियन्ता,नि0ख0,लो0नि0वि0 अल्मोड़ा का पत्र संख्या 2506/1 ए.सी. दिनांक 31.10.2018

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 (क0सं0 1) द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या 22, लेखाशीर्षक 3054-04-337-03-01-24 (राजस्व) प्रदेश के मार्गो/पुलियों के अनुरक्षण मद में अवमुक्त धनराशि ₹ 220.00 करोड के सापेक्ष योजनान्तर्गत वर्तमान में उपलब्ध धनराशि तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में केक सीलिंग के कार्यो में अधिशासी अभियन्ताओं के उपर्युक्त संदर्भित पत्रों (क0स0-2 से 6 तक) द्वारा सूचित धनावंटन की मॉग के कम में सम्बन्धित कार्यदायी खण्डो को निम्नानुसार कुल ₹ 130.46 लाख (₹ एक करोड़ तीस लाख छियालीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न वर्णित शर्तो के अन्तर्गत आवंटित की जाती है।

(धनराशि लाख ₹ में)

क0 सं0	खण्ड का नाम	अनुमोदित लम्बाई(किमी0 में)	अनुमोदित केक सीलिंग कार्यो की लागत	वित्तीय वर्ष 2018-19 में केक सीलिंग के कार्यो हेतु आवंटन
1	2	3	4	5
1	निर्माण खण्ड, दुगड्डा	17.60	19.36	19.36
2	निर्माण खण्ड, ऊखीमठ	5.00	5.50	5.50
3	निर्माण खण्ड, गैरसैंण	10.00	11.00	11.00
4	निर्माण खण्ड, अल्मोड़ा	13.00	14.30	14.30
5	प्रान्तीय खण्ड, रूद्रपुर	28.00	30.80	30.80
6	निर्माण खण्ड, खटीमा	45.00	49.50	49.50
	योग, (क0सं0 1 से 6 तक)	**118.60**	**130.46**	**130.46**

1.T upload on 916 14.11.18 (देवेन्द्र शाह) अधिशासी अभियन्ता

आवंटन की शर्तेः- (1) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा उपरोक्तानुसार खण्डवार आवंटित धनराशि का व्यय, वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओ द्वारा अनुमोदित केक सीलिंग के कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनुमोदित केक सीलिंग के कार्य उच्च प्राथमिकता एवं तात्कालिकता के आधार पर दिनांक 28.02.2019 से पूर्व पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यवार/खण्डवार अनुमोदित केक सीलिंग के कार्यो में प्रदत्त अनुमोदित स्वीकृति से अधिक का व्यय, किसी भी दशा में नही किया जायेगा और न ही अनुमोदित धनराशि से अधिक के दायित्व सृजित किये जायेंगे अन्यथा व्ययाधिक्य एवं वित्तीय दायित्वो के अधिक सृजन हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता उत्तरदायी मानें जायेंगे।

(3) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय, उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंन्ट नियमावली 2017 (संशोधित) में निर्धारित प्रकियाओं/निर्दिष्ट मानकों, बजट मैनुवल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा टेण्डर विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अनुमोदित केक सीलिंग के कार्यो के सम्पादन में गुणवत्ता तथा तकनीकी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के साथ-साथ वित्तीय मितव्ययता सम्बन्धी प्रचलित नियमो का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 09.04.2018 में निहित समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं0 22, लेखाशीर्षक 3054 सड़क तथा सेतु-04 जिला तथा अन्य सड़कें-राजस्व-337 सड़क निर्माण कार्य-03 अनुरक्षण एवं मरम्मत 01 प्रदेश के मार्गो/पुलियों का अनुरक्षण कार्य-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपिः-निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) महालेखाकार भवन, पो0ओ0-सब पोस्ट मास्टर, पेट्रोलियम संस्थान कौलागढ़ देहरादून।
(2) अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
(3) वित्त नियंत्रक, कार्या0 प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लो0नि0वि0 देहरादून। आवश्यक साख-सीमा निर्गत करने हेतु।
(4) अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम/चतुर्थ/सातवॉ/बारहवॉ/सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग ....।
(5) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग,.............................।
(6) आई0टी0सेल,कार्या0प्रमुख अभियन्ता(विभागाध्यक्ष)लो.नि.वि.,देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड कराये जाने हेतु।

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)